रजि. सं. डी. एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2007/श्रावण 23, 1929 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 134
No. 139] DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2007/SRAVANA 23, 1929 [N.C.T.D. No. 134

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 अगस्त, 2007

फा. सं. 4/4/2006/न.दि.न.पा.परि./14663 :—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 44) की धारा 11 के परिच्छेद (1) के साथ धारा 388 की उप-धारा (1) को पढ़ा जाए के अंतर्गत पूर्व प्रकाशन के उपरांत तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमादन से उक्त अधिनियम की धारा 391 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुवर्तन में न.दि.न.पा. परिषद् द्वारा बनाये गए निम्नलिखित उप-नियम एतद्द्वारा निम्न प्रकार प्रकाशित किये जाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होने की तिथि : —

(1) इन उप-नियमों को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (डेंगू, मलेरिया, फाईलेरिया, पीत-ज्वर तथा अन्य विषाणु-जन्य बीमारियां) उप-नियम, 2007 कहा जाए ।

(2) ये नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र में लागू होंगे ।

(3) ये सरकारी राजपत्र में, प्रकाशन की तिथि से/को लागू होंगे ।

2. परिभाषायें :—(1) इन उप-नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(i) "अधिनियम" से तात्पर्य नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 44) से है ।

(ii) "अध्यक्ष" से तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है तथा परिषद् अध्यक्ष द्वारा इस संदर्भ में अधिकृत परिषद् का कोई अन्य अधिकारी या अन्य परिषद् कर्मचारी सम्मिलित है ।

(iii) "अन्य रोगाणु" से तात्पर्य उन रोगाणुवाहकों से है, जो चिकित्सीय महत्त्व के हैं ।

(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियों जिन्हें उप-नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, अधिनियम में उनके लिए निर्दिष्ट तात्पर्य से होगा ।

3. परिसरों के अधिवासियों के कर्त्तव्य : —(1) कोई भी व्यक्ति :—

(i) अपने अधिवासित परिसर के भीतर, खड़े अथवा बहाव वाले पानी, जिससे मच्छर/अन्य रोगाणुओं का प्रजनन अथवा प्रजनन की संभावना हो, को न तो एकत्र करेगा एवं न ही रखरखाव करेगा ।

(ii) परिसर में पानी इकट्ठा नहीं होने देगा, जिससे

मच्छर/अन्य रोगाणु पैदा हो या होने की संभावना हो। यदि कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उस पर ऐसी प्रभावी कार्यवाही की जाये कि मच्छर पैदा न हो।

(2) कहीं भी ठहरे अथवा बहते पानी में मच्छरों/अन्य रोगवाहक लारवा की स्वाभाविक उपस्थिति इस बात का प्रमाण होगी कि इस पानी में मच्छरों/अन्य रोगाणुवाहकों का प्रजनन हो रहा है।

4. मच्छरों/अन्य रोगाणुवाहक प्रजनन स्थलों का उपचार :—अध्यक्ष, लिखित में नोटिस द्वारा संपत्ति के मालिक अथवा परिसर के अधिभोक्ता से ठहरे हुए अथवा बहते पानी जिसमें मच्छर/अन्य रोगाणुवाहकों का प्रजनन होता है अथवा प्रजनन होने की संभावना है, निर्दिष्ट अवधि, जो 24 घंटे से कम न हो, में इसका भौतिक, रसायनिक अथवा जैविक पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति द्वारा, जो अध्यक्ष को इन परिस्थितियों में उपयुक्त लगे, उपचार करवा सकते हैं।

5. दोषियों के मामले में अध्यक्ष की शक्तियाँ :—यदि उप-नियम 4 के अंतर्गत स्वामी/अधिभोक्ता को नोटिस दिया जाता है एवं स्वामी/अधिभोक्ता उसका अनुपालन करने में असफल रहता/मना करता है या नोटिस में वर्णित निर्धारित अवधि में उपचारात्मक उपाय नहीं करता है तो अध्यक्ष द्वारा स्वामी/अधिभोक्ता की लागत पर आवश्यक कार्यवाही/उपचार करेगा और ऐसी कार्यवाही या उपचार करने पर उसके द्वारा किये गये व्यय को अधिनियम की धारा 363 के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में वसूल कर सकता है।

6. मच्छर-रोधी/अन्य रोगाणुरोधी कार्यों से बचाव :—जहाँ किसी परिसर में मच्छर/अन्य रोगाणुओं के प्रजनन की रोकथाम के लिए, अध्यक्ष या अध्यक्ष के आग्रह पर स्वामी या अधिभोक्ता द्वारा ऐसे परिसरों के कोई कार्य करवाया जाता है तो परिसरों के स्वामी या अधिभोक्ता कुछ समय तक के लिए उनको किसी भी तरह उस रूप में प्रयोग नहीं करेगा, जिसके कारण उठाये जाने वाले कदमों अथवा किये जाने वाले कार्यों को क्षति पहुँचती हो, या कार्य की दक्षता कम होती हो या ऐसा होने की संभावना हो।

7. ऐसे कार्यों में बाधा या हस्तक्षेप का निषेध :—(1) मच्छर व दूसरी बीमारी के रोगाणुओं के प्रजनन को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष की सहमति के बिना या अध्यक्ष के आदेशों के अन्तर्गत हस्तक्षेप नहीं करेगा या किसी परिसर में रखे सामान या वस्तुओं को नष्ट नहीं करेगा या किसी परिसर में रखे सामान या वस्तुओं को नष्ट करेगा या अनुपयोगी नहीं बनायेगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा परिच्छेद (1) के प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो अध्यक्ष सामग्री या सामान के प्रतिस्थापन का कार्य पुनः निष्पादित करा सकता है और इस कार्य पर आई लागत को अधिनियम की धारा 363 के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में वसूल कर सकता है।

8. घरेलू व अन्य पात्रों के संबंध में प्रावधान :—किसी भी परिसर का स्वामी या अधिभोक्ता किसी भी प्रकार के बर्तनों, बोतलों, केनों, पात्रों को इस प्रकार इकट्ठा न करे, जिसमें पानी जमा होकर मच्छरों/अन्य रोगाणुवाहकों के प्रजनन का कारण बने।

9. सड़कों, बन्धों इत्यादि के निर्माण तथा मरम्मत हेतु अपनाये जाने वाले उपाय :—(i) भवनों, सड़कों, बन्धों आदि की मरम्मत और निर्माण के दौरान खुदाई से बने गड्ढे गहरे होने चाहिए तथा ढलाव स्तर की ओर सीधे निकासी के लिए एक-दूसरे से जुड़े हों तथा नदी, नहर, चैनल अथवा नाले की ओर उचित प्रवाह हेतु पूर्णतः ढलानयुक्त होने चाहिएं तथा कोई भी व्यक्ति अलग से गहरा गड्ढा नहीं खोदेगा जिसमें पानी जमा होने की संभावना हो तथा जिससे मच्छरों का प्रजनन हो।

(ii) संबंधित ठेकेदार द्वारा लारवा-रोधी उपाय हेतु साप्ताहिक रूप से कीट रोधी छिड़काव कराया जायेगा। इस उद्देश्य हेतु परिषद् से किये गये अनुबंध के अनुसार परिषद् की लारवा-रोधी इकाई को लारवा-रोधी उपाय करने हेतु सम्पर्क किया जाए, जिसके लिए परिषद् द्वारा परिषद् के साथ निष्पादित अनुबंध के अनुसार प्रभार वसूल किये जाएँगे।

10. परिसरों में प्रवेश तथा निरीक्षण हेतु अध्यक्ष की शक्तियाँ :—(1) प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य हेतु, अध्यक्ष अथवा उसकी ओर से इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई परिषद् अधिकारी अथवा अन्य कोई कर्मचारी अधिनियम की धारा 343 के प्रावधान के अनुसार जैसा वह उपयुक्त समझे, लिखित या मौखिक नोटिस देने के उपरांत अपने क्षेत्राधिकार के परिसर में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही प्रवेश कर सकेगा और परिसर का अधिभोक्ता या स्वामी ऐसे निरीक्षण एवं प्रवेश के लिए सभी आवश्यक सुविधायें प्रदान करेगा तथा इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित सभी सूचनायें भी देगा।

(2) अध्यक्ष या इसके द्वारा या इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति के लिए किसी स्थान में प्रवेश करना, और किसी द्वार, फाटक या अन्य अवरोधकों को खोलना या खुलवाना कानूनी रूप से जायज़ होगा बशर्ते कि ऐसा अधिनियम की धारा 342 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुरूप हो—

(क) यदि वह ऐसे प्रवेश के प्रयोजन के लिए उसका खोला जाना आवश्यक समझता है, और

(ख) यदि स्वामी या अधिभोक्ता अनुपस्थित है या उपस्थित होने पर भी ऐसे द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने से इंकार करता है।

11. दण्ड :—जो कोई भी उप-नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह अधिनियम की धारा 390 के अनुसार दण्डनीय होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा इनके नाम पर

राम कंवर, उप-सचिव

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 14th August, 2007

F. No. 4/4/2006/NDMC/14663.—The following Bye-laws made by the New Delhi Municipal Council under